

प्रारूप-11
(नियम 7 (1) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वर्ष 2014

मामला सं. 223

1. गोकुल कृष्ण कालोनाइजर्स एण्ड ड्वलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक राजेश कुमार रजि. आफिस 36, लक्ष्मी नारायण विहार, गणपतपुरा, मांग्यावास के पास, मानसरोवर, जयपुर व आर्यन लैन्जमार्क ड्वलपर्स एल.एल.पी. जरिये पार्टनर रामचन्द्र यादव रजि. आफिस 2-सी, स्वरूप कालोनी, डीसीएम अजमेर रोड, जयपुर व हनुमान सहाय पुत्र गणेशनारायण, श्री रामराय महेश पुत्रान ग्यारसा, श्रीमती फूलादेवी पत्नि श्री स्व. लालचन्द्र, दिनेश पुत्र स्व. श्री लालचन्द्र, किरण, ज्योति पुत्रिया लालचन्द्र ना.बा.सरकार क माता फूलादेवी पत्नि श्री स्व. श्री लालचन्द्र, भंवरलाल, नानूराम, गोपालराम, बाबूलाल, सीताराम पिता प्रताप, धांपूदेवी बेवा रामसहाय व मांगीलाल पुत्र रामसहाय, जगदीश, रामेश्वर पिता लादू, बोदू पुत्र गुल्ला निवासी ग्राम नांगलबड़गुजरान उर्फ़ फगोडियावाला तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
- विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 10/10/1

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

- (1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा क्षेत्र (हेक्टर)	किस्म भूमि
तहसील सांगानेर	नांगलबड़गुजरान	256	0.43	बारानी-1
जिला जयपुर	उर्फ़ फगोडियावाला	254	0.97	बारानी-1
		305	1.14	बारानी-1
		302	0.47	चाही-1
		304	0.42	चाही-1
		306	0.22	बारानी-1
		307	0.37	चाही-1
		308	0.43	चाही-1
		309	0.43	चाही-1
		310	0.41	चाही-1
		311	0.28	चाही-1
		312	0.30	चाही-1 जाव-1
		313	0.32	चाही-1 जाव-1
		314	0.01	गै.मु.चाह
		315	0.31	चाही-1
		329	0.17	चाही-1 जाव-1
		331	0.37	चाही-1
		332	0.15	चाही-1
		333	0.32	चाही-1
		334	0.37	चाही-1
		337	0.37	जाव-1 चाही-1
		338	0.08	चाही-1 जाव-1
		328	0.38	जाव-1 चाही-1
		330	0.37	जाव-1 चाही-1
		335	0.01	गै.मु.चाह
		336	0.30	चाही-3 जाव-3
		327	0.86 में से 0.60	बारानी-1
	कुल किता	27	10.00 हेक्टर	

- (2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रभागित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- (3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और संचिव जविप्रा, जयपुर की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अधिधृति अधिकार निवापित करके भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- (4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि :-

ग्राम/तहसील	खसरा संख्या	रकबा क्षेत्र (हेक्टर)	खातेदार
नांगलबड़गुजरान उर्फ़ फगोडियावाला	256	0.43	गोकुल कृष्ण कालोनाइजर्स एण्ड ड्वलपर्स प्रा.लि. व आर्यन लैन्जमार्क ड्वलपर्स एल.एल.पी.
	254	0.97	
	305	1.14	
	302	0.47	
	304	0.42	
	306	0.22	गोकुल कृष्ण कालोनाइजर्स एण्ड ड्वलपर्स प्रा.लि.

307	0.37
308	0.43
309	0.43
310	0.41
311	0.28
312	0.30
313	0.32
314	0.01
315	0.31
329	0.17
331	0.37
332	0.15
333	0.32
334	0.37
337	0.37
338	0.08
328	0.38
330	0.37
335	0.01
336	0.30
327	0.86 में से 0.60
कुल	27



हनुमान सहाय पुत्र गणेशनारायण, श्री रामराय महेश पुत्रान ग्यारसा, श्रीमती फूलादेवी पत्नि श्री स्वं लालचन्द, दिनेश पुत्र लालचन्द, किरण, ज्योति, पुत्रिया लालचन्द ना. वा. सरकार माता फूला देवी पत्नि स्व. लालचन्द, भंवरलाल, नानूराम, गोपालराम, बाबूलाल, सीताराम पिता प्रताप, धापूदेवी बेवा रामसहाय व मांगीलाल पुत्र रामसहाय, जगदीश रामेश्वर पिता लादू बोदू पुत्र गुल्ला

इस प्रकार ग्राम नांगलबड़ुजरान उर्फ फगोडियावाला तहसील सांगानेर के ख.नं. 256, 254, 305, 302, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 338, 328, 330, 335, 336, 327 कुले किता 27 कुल रक्का 10 हैक्टर में स्थित भूमि पर आवेदक के अधिकृति अधिकारों को उक्त भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक / आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के व्यवनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

- (5) इस प्रभार्ति के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् जविप्रा, जयपुर आवेदक द्वारा सम्बद्ध आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- (6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
- गह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 10/10/14 को पारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक 10/10/14

क.स. २५३

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :-

- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
- तहसीलदार, तहसील सांगानेर को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर सचिव, जविप्रा, जयपुर और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
- प्रभारी अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र जविप्रा, जयपुर को प्रकरण संख्या 200841 दिनांक 29.09.14 के संबंध में निस्तारण हेतु प्रेषित है।
- ओकुल कृपा कालोनाइजर्स एण्ड डबलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक राजेश कुमार रजि. आफिस 36, लक्ष्मी नारायण रामचन्द्र यादव रजि. आफिस 2-सी, स्वरूप कालोनी, डीसीएम अजमेर रोड, जयपुर व हनुमान सहाय पुत्र लालचन्द, किरण, ज्योति पुत्रिया लालचन्द ना.बा.सरकार माता फूलादेवी पत्नि श्री स्व. श्री लालचन्द, भंवरलाल, नानूराम, गोपालराम, बाबूलाल, सीताराम पिता प्रताप, धापूदेवी बेवा रामसहाय व मांगीलाल पुत्र रामसहाय, जगदीश, रामेश्वर पिता लादू बोदू पुत्र गुल्ला निवासी ग्राम नांगलबड़ुजरान उर्फ फगोडियावाला तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक